न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00074 **दायरा दिनांक : 02/09/2020**

उनवान

1– माँगीलाल आत्मज जगन्नाथ जी दत्तक पुत्र भूरालाल, जाति मीणा, आयु 67 वर्ष, निवासी ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बांरा

.... अपीलांट

बनाम

1– कन्हैयालाल आत्मज जगन्नाथ जी दत्तक पुत्र श्री किशन, जाति मीणा, आयु 62 वर्ष, निवासी ग्राम तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बांरा हाल निवासी मकान नम्बर 136 बी, आर के पुरम कोटा

2– जगन्नाथ आत्मज भैरूलाल जी (मृतक)

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बांरा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19.01.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 78/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही ग्राम रामपुरिया बडौद स्थित अपीलांट के खाते की आराजी का रेस्पोडेंट कम 1 को खातेदार घोषित करने का आदेश

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

एवं डिक्री प्रदान कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम रामपुरिया बडौद स्थित वादपत्र में वर्णि आराजी अपीलांट को आवंटन की गई बाद आवंटन अपीलांट के खाते गैर खातेदारी में दर्ज की । तत्पश्चात अपीलांट द्वारा आवंटन नियमों की पालना करने पर दिनांक 31.07.2001 को अपीलांट को खातेदारी प्रदान की गई । इस प्रकार अपीलांट खातेदार होने के बावजूद भी बिना किसी आधार एवं तथ्य के रेस्पोडेंट कम 1 के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिक रूप से तामील नहीं होने के बावजूद तामील होना मानकर एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अपने वाद पत्र में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया था जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है और न ही रेस्पोडेंट का अपीलांट की आराजी पर एडवर्स पजेशन प्रमाणित होता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 भियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.07.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कन्हैया लाल ने दावा पेश कर प्रतिवादी अपीलांट के खिलाफ तीन खसरा नं. 205, 206, 221 कुल रकबा 0.58 हेक्टर के बाबत है । पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है । प्रतिवादी नाम नहीं करा रहा है । नोटिस अपूर्ण है

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

जिसमें समय तारीख, वर्ष अंकित करेगे । नोटिस के साथ दावे की प्रतिलिपि भी ललेगी । लेकिन कोई इनडोर्समेंट नहीं है । अतः अपूर्ण तामील है । पत्रावली रिमाण्ड की गई । अपूर्ण तामील है तो आदेश की अपील करें । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का रिव्यू कर सकता है । डिक्री खारिज कर सकता है । ऐसा कोई पारिवारिक सहमति या बंटवारा नहीं हुआ है । दस्तावेज तभी पढा जावेगा जब वह एक्जीविट होगा ।वादग्रस्त आराजी अपीलांट को आवंटित हुई है । पहले वादग्रस्त आराजी गैर खातेदारी में थी उसके बाद खातेदारी में आयी है । आर्डर 41 नियम 27 के साथ हमने आवंटन आदेश पेश किया है लगान की रसीदे पेश की । वादग्रस्त आराजी पर आज भी हमारा ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा नाम हटा दिया । वादग्रस्त आराजी में कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी नहीं दी जा सकता जबकि कब्जे के आधार पर रेस्पोडेंट को खातेदार बना दिया है । अतः अपील स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में सी पी सी आर्डर 5 नियम 2(8) पेज 103, आर बी जे 2011 पेज 387, आर आर टी 2015(2) पेज 868, डी एन जे 2018 (रेवेन्यु) पेज 53, आर आर डी 2007 मई पेज 321, आर बी जे 2010 पेज 1 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि सम्मन के साथ वाद पत्र की प्रतिलिपि नहीं है । यदि वादपत्र की प्रतिलिपि नहीं है तो ऐसे सम्मन की तामील नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार तामील नहीं मानी जायेगी, अतः तामील अपूर्ण है । निर्णय में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलांट) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना तथा उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 (रेस्पोडेंट) द्वारा कीमतन क्रय करने का उल्लेख है लेकिन कीमतन क्रय करने बाबत कोई रिकोर्ड पत्रावली में मौजूद नहीं है । इस बाबत निर्णय में भी कोई उल्लेख नहीं है । वादग्रस्त आराजी को वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विभाजन से प्राप्त करने का उल्लेख है लेकिन ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

संख्या 2 (रेस्पोडेंट) के इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया है, जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर समस्त रेकार्ड का अवलोकन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा